प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान संघ सरकार के आयकर विभाग, राजस्व विभाग द्वारा सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के पूर्ण किए गए निर्धारण के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं, जो मार्च 2019 से सितम्बर 2019 तक की गयी लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।